न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

वाद(प्रार्थनापत्र) संख्या – 18/2020

प्रविष्टि दिनांक – 07.03.2019

उनवान

1. रामनिवास पुत्र भूरा जाति धाकड निवासी ग्राम भरनी का झोपडा, तहसील व जिला टोंक
2. समोदरा पतिन रामनिवास जाति धाकड निवासी ग्राम भरनी का झोपडा, तहसील व जिला टोंक

–आवेदक/वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक राजस्थान
2. तहसीलदार टोंक

विपक्षी

उपस्थित– श्री सेतराम चौधरी– वकील वादीगण
श्री अर्जूनलाल मीणा– पैरोकार सरकार

निर्णय

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

वाद बाबत– शीट दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा–88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दिनांक : 03/02/2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 99/16, 99/17, 99/32 वाके ग्राम भरनी, तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है। जिसमें मुताबिक रिकार्ड आवेदकगण इसके तन्हा मालिक एंव स्वामी खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त आराजीयात की नक्शाशीट में प्रारम्भ से ही तरमीम होकर उक्त आराजी की शीट में सीमाऐं पूर्ण रूप से स्पष्ट है तथा उक्त तरमीम विधि के अनुसार की जाकर शत्–प्रतिशत सत्य है तथा वादीगण उक्त तरमीम के अनुसार ही अपने खतेदारी के खेतों पर काबिज होकरकृषि कार्य करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारीगण बिना किसी आधार व आदेश के वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजी की प्रारम्भ से स्थापित नक्शाशीट में तरमीम को परिवर्तित करने पर आमादा है तथा इसके लिये प्रतिवादीगण व उनके अधीनस्थ राजस्व कर्मचारीगण ने कच्ची नक्शा शीट भी बना ली है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है, तथा उक्त परिवर्तित तारमीम प्रारम्भ से स्थापित तरमीम से भिन्न है यह दोनों नक्शाशीट को एक दुसरे के उपर रखने से ही स्पष्ट हो जाती है इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है।

वादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को साबित करने के लिये दस्तावेजात–जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी खसरा नम्बर 99/16, 99/17, नक्शाशीट आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी तहसीलदार से जवाब तलब किया गया। पैराकार सरकार ने तहसीलदार की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 99/16, 99/17, 99/32 वाके ग्राम भरनी की वादपत्र में जो स्थिति दर्शायी गयी थी वर्तमान में उक्त स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, डीआईएलआरएमपी योजना में तरमीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अतः दावा खारिज योग्य है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। यह सही है कि डीआईएलआरएमपी योजना में तरमीम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है किन्तु वादी को दी गयी नक्शाशीट की नकलों में भिन्नता हे। इससे स्पष्ट है कि कार्मिकों द्वारा नक्शाशीट में परितर्वतन कर नकल जारी की गयी है, जबकि इस परिवर्तन करने का उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भविष्य में अनावश्यक वाद रोकने एंव न्यायहित में प्रतिवादी संख्या–2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या–2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा–हमेशा के लिए पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 99/16, 99/17, 99/32 वाके ग्राम भरनी तहसील टोंक की नक्शाशीट में बिना किसी विधिक अधिकार के कोई परिवर्तन नहीं करे ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहें।

यह निर्णय आज **दिनांक** 03/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नित्या के0)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोंक मुकाम टोंक व अलजाम नित्या के0, आई.ए.एस. द्वारा अध्याशित

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम अहमदपुरा चौकी, तहसील व जिला टोंक
2. तोलाराम पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम अहमदपुरा चौकी, तहसील व जिला टोंक
3. रामजीलाल पुत्र किशनलाल जाति मीणा निवासी ग्राम अहमदपुरा चौकी, तहसील व जिला टोंक
4. राजनी पत्नि सत्यनारायण जाति मीणा निवासी ग्राम अहमदपुरा चौकी, तहसील व जिला टोंक

—आवेदक / वादी

बनाम

सरपंच, ग्राम पंचायत हरचन्देडा तहसील व जिला टोंक — विपक्षी

उपस्थित— श्री सेतराम चौधरी— वकील वादीगण

निर्णय

वाद बाबत— शीट दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

(अन्तर्गत धारा—88, 89, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

दावा नं0 18/2019

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, टोंक व हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी जारी की जाती है कि

अतः वादीगण का वाद स्थायी निषेधाज्ञा की हद तक स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या—2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा हमेशा—हमेशा के लिए पावन्द किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 99/16, 99/17, 99/32 वाके ग्राम भरनी तहसील टोंक की नक्शाशीट में बिना किसी विधिक अधिकार के कोई परिवर्तन नहीं करे ओर ना ही करावें। हमेशा हमेशा के लिए पावन्द रहें।

वसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 03/02/2021 को जारी किया गया।

मोहर

(नित्या के0)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मीशान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा महन्तनामा वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताफरिक मिजान		

नोट:—इसी खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।